नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प धणा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 59/2010
दायरा तिथि 06.09.2010
निर्णय तिथि 04.06..2016

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. स्व. हीरा पुत्र रतनाजी के का.मु. कानाराम पुत्र हीराराम, जाति सिरवी निवासी बडगाांवडा तहसील सुमेरपुर जिला–पाली		1. स्व. चतरा पुत्र रतनाजी के का.मु. 1.1 धनाराम पुत्र चतराजी 1.2 श्रीमती फुलीदेवी पुत्री चतराजी जातिगण–सिरवी निवासीगण बडगांवडा तहसील सुमेरपुर जिला–पाली 2. तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,188 आर.टी.एक्ट,1955

उपस्थित :–

1–वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित।
2–प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम चौधरी उपस्थित।

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि 04.06.2016

उपरोक्त अनबान प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र धणा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद विषयक–स्थिति अनुसार वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बडगाांवडा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक–पुश्तैनी व संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, थे जिनका कुल रकबा 193 बिघा था। स्व. रतना के सम्पूर्ण हक–हिस्से का खातेदार घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हक–हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि वादी के नाम घोषित कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमावे। वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः जमाबंदिया संवत् 2024–28 व 2065–2068 नक्शा–ट्रेस, की छाया प्रतिया पेश की है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्व किया गया। प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत की भावना से वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा इस आशय का राजीनामा प्रस्तुत किया कि "वाद में वादी की प्रार्थना को स्वीकार फरमाकर वादी द्वारा मांगी गई रिलिफ के अनुसरण में लोक अदालत की भावना से आदेश पारित किया जावे।" हमने, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किए गये कथित राजीनामे की इबारत को पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया।

लगातार पेज – 2....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज)

Scanned by CamScanner

(3) कि हमने, प्रश्नगत् मामले में पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों के आधार पर एवं तथाकथित राजीनामा की इबारत अनुसार वादपत्र में वर्णित तमाम तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है। इसलिए हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् माफिक राजीनामा इबारत के अनुसार वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का यह वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत माफिक राजीनामा इबारत अनुसार स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर दोनो पक्षकारों के सहमत होने से सरहद मौजा बडगांवडा तहसील सुमेरपुर की कृषि भूमि खसरा नं 1034 के पूर्व दिशा की माठ के सहारे–सहारे प्रतिवादीर सं. 01 धनाराम ने अपनी खातेदारी में से 10 फीट चौडाई में खसरा नं. 1033 तक रास्ता दिया है इसके बदले वादी कानाराम द्वारा खसरा नं. 1033 के उत्तरी दिशा में उतनी जमीन दी गई है। मौजा बडगांवडा के खसरा नं. 1308 के पूर्व दिशा में प्रतिवादी धनाराम द्वारा अपनी खातेदारी में से 10 फीट रास्ता खसरा नं. 1310 तक दिया गया है। इसकी ऐवज में वादी कानाराम द्वारा खसरा नं. 1310 के उत्तर दिशा की माठ मे सें इतनी ही जमीन प्रतिवादी सं. 01 धनाराम को देने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। दोनो पक्षकारान उपरोक्तानुसार छोडे गये रास्ते की भूमि में किसी तरह का अवरोध पैदा नही करेंगे। साथ ही वादी के हक–हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का लापोद को उक्त निर्णय/डिक्री की सत्यापित–प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु भिजवायी जावे। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 04.06.2016 को लोक अदालत केम्प धणा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

Scanned by CamScanner